

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य किया जावे जिससे संचिया हो।



ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2012/ 5883

दिनांक: 07/01/2013

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध महातमा गांधी विधि महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2431760) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एल.एल.बी. (विवर्याच), एल.एल.बी. पंचवर्षीय एवं एल.एल.एम., पाइयक्रम कक्षा/पाइयक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्ह प्राप्त करने के लिये माननीय कुलपति महादेव स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

जी.वि.वि., ग्वालियर।

(1) प्रो. संजय कुलश्रेष्ठ, आचार्य, विधि संस्थान, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442793)

(2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. आर.जी. गर्ग, उपाचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अवृद्धी है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावाहाओं के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धोखर राशि, गांधिज्ञ शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राविष्टि संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाइयक्रम/अधिनियम तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारें अंकित करें। महाविद्यालय प्रावार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक द्वे विवेदन हैं कि वे उक्त निरीक्षण समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कावलिय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

निरीक्षण में कार्यालय का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की भाजी दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वयं विस्तृत हो जावेगी और पुनः निरीक्षण करने के लिए महाविद्यालय को दण्ड खराप रु. 25,000/- जगा करने होंगे। तत्पश्चात ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(य) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिला छानों को प्रवेश देता अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रावाली लेकर जारीने तथा महाविद्यालय की वर्तुलिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / डी.ए. / मार्गदर्शक महाविद्यालय हाजा देय होगा।

कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के विज्ञी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसंचिव (सम्बद्धता)